

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्त्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

प्रमाणित किया जाता है कि "ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत सोरली-डोंडीलोहारा, दल्लीराजहरा -गोटाटोला, दल्लीराजहरा - बालोद, दल्लीराजहरा -भानुप्रतापपुर, धमतरी -चारामा, कोरर- मालगांव, अंगारा- भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव - दल्लीराजहरा के मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.895 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन क्षेत्र के 10 कि.मी. अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर प्रस्तावित नहीं है एवं अन्य ऐतिहासिक महत्त्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है।


आरुण जैन
वन मण्डलाधिकारी
बालोद, वन मण्डल बालोद


(अशोक कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)